उपबन्धों के उल्लंघन में हो, या जनभावना को ठेस पहुंचाता हो, या सामान्यतः लोकनीति या जनहित के अनुरूप न हो या प्राधिकरण के हितों के लिए नुकसानदायक हो और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

18. सदस्य का निकाला जाना :– पीठासीन सदस्य किसी ऐसे सदस्य को जिसका आचरण उसकी राय में गम्भीर रूप से अनुशासनहीनता पूर्ण हो बैठक से तुरन्त निकल जाने का निर्देश दे सकेगा और निकल जाने के लिए इस प्रकार आदिष्ट सदस्य तुरन्त ऐसा करेगा और उस दिन की बैठक की शेष अवधि के लिए अनुपस्थित रहेगा। पीठासीन सदस्य द्वारा सदस्य का नाम लिये जाने पर भी यदि सदस्य वहां जाने से इनकार करें तो उसे बोलने या मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा और यदि गम्भीर अनुशासनहीन व्यवहार बना रहे तो उसे जबर्दस्ती बाहर निकलवा दिया जायेगा।

19. व्यवस्था बनाये रखना और बैठक का निलम्बन :– पीठासीन सदस्य व्यवस्था बनाये रखेगा तथा उसे अपने विनिश्चयों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियां प्राप्त होगी और वह उसके द्वारा बताये गये किसी विनिर्दिष्ट समय तक कोई बैठक निलम्बित कर सकेगा।

20. सदस्यों का अस्थायी सहयोजन :– प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को उसकी बैठक या बैठकों में किसी मामलें या मामलों में सहायता या सलाह देने के प्रयोजन के लिए विशेष या स्थायी आमंत्रित के रूप में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित कर सकेगा। इस प्रकार आमंत्रित अधिकारी या व्यक्ति कार्यवाही में भाग ले सकेंगें, किन्तु उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

21. प्राधिकरण की कार्यवाहियों की अभिरक्षा :– सचिव प्राधिकरण की कार्यवाहियों तथा अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्यकारी समितियां, कृत्य कार्य बोर्ड तथा समितियों का कार्य संचालन) विनियम, 2014

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 7(4), 10(2) तथा 15(1) के साथ सहपठित धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता हैं अर्थात्

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (1) इन विनिमयों का नाम जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्यकारी समिति, कृत्यकारी बोर्ड तथा समितियों का कार्य संचालन) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2–परिभाषायें:– जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में:–

(1) "अधिनियम" से जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) से अभिप्रेत हैं।

(2) "पूर्ण दिन" में शनिवार, रविवार तथा छुट्टियां सम्मिलित हैं, किन्तु बैठक का दिन सम्मिलित नहीं हैं।

(3) "अध्यक्ष" से कार्यकारी समिति, जोधपुर यातायात नियन्त्रण बोर्ड, कृत्यकारी बोर्ड या समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(4) "कार्यकारी समिति" से प्राधिकरण के अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथागठित कार्यकारी समिति अभिप्रेत है।

(5) "बैठक" से कार्यकारी समिति, जोधपुर यातायात नियन्त्रण बोर्ड, कृत्यकारी बोर्ड या अधिनियम की धारा 10 के अधीन गठित समिति की बैठक अभिप्रेत है।

(6) "सदस्य" से कार्यकारी समिति, जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड, कृत्यकारी बोर्ड या समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है।

(7) "प्रस्ताव" से किसी सदस्य द्वारा बैठक में विचार के लिए रखा गया कोई प्रस्ताव अभिप्रेत है।

(8) "सचिव" से प्राधिकरण का अधिनियम की धारा 8 के अधीन यथा नियुक्त सचिव अभिप्रेत है।

(9) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया हैं।

3–कार्यकारी समिति, जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड, कृत्यकारी बोर्ड या समिति की बैठकें: कार्यकारी समिति, जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड, कृत्यकारी बोर्ड या समिति की उतनी बैठक होगी जितनी आवश्यक हैं।

4–बैठक की सूचनाः– (1) कोई भी बैठक तब तक नहीं होगी जब तक कि बैठक में स्थान, तारीख तथा समय की और उसमें किये जाने वाले कार्य की सूचना बैठक की तारीख में कम से कम तीन पूर्ण दिन पहले नहीं दे दी गयी हो तथा सूचना में उल्लिखित कार्य से भिन्न कार्य भी अध्यक्ष की सहमति या उसके प्रस्ताव के सिवाय ऐसी बैठक में नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः– बैठक सामान्यतः प्राधिकरण के कार्यालय में की जायेगी।

(2) अतिआवश्यकता के मामले में, अध्यक्ष उप–विनियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना से अल्पावधि की सूचना देकर बैठक बुला सकेगा।

(3) सूचना सचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी और प्रत्येक सदस्य को उसके सामान्य निवास स्थान पर या शासकीय पते से डाक द्वारा या ऐसे अन्य तरीके से जो सचिव समीचीन समझे भेजी जायेगी।

5–बैठक की कार्य सूचीः बैठक की कार्य सूची सचिव द्वारा तैयार की जायेगी। सचिव कार्य सूची में कोई ऐसा विषय सम्मिलित कर सकेगा जिस पर उसकी राय में बैठक में विचार किया जाना चाहिए और उसमें अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी विषय सम्मिलित किया जावेगा।

6–विशेष बैठकः अध्यक्ष कुल सदस्यों में कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किये जाने के लिए प्रस्थापित संकल्प विनिर्दिष्ट करते हुए, हस्ताक्षरित लिखित निवेदन प्राप्त होने पर विशेष बैठक बुलायेगा।

7–अध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षताः– प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी।

8–बैठक के लिए कोरमः– कोई भी कार्य तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संपूर्ण सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हो।

9–कोरम के अभाव में बैठक स्थगनः– (1) जहां कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर दी गयी हो तो वह किसी पश्चात्वर्ती तारीख को पुनः बुलाई जा सकेगी। बशर्ते यह पश्चात्वर्ती तारीख या पश्चात्वर्ती समय उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट किया हुआ हो तथा स्थगित बैठक के संचालन के लिए कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा।

(2) यदि बैठक के लिए नियत समय के पश्चात् एक घन्टे के भीतर कोरम पूरा नहीं हो तो बैठक स्थगित हो जायेगी।

10–बैठक में कार्य का किया जानाः– कार्यकारी समिति, जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड, कृत्यकारी बोर्ड या किसी समिति या कार्य सामान्यतः इन विनियमों के उपबन्ध के अनुसार सम्यक रूप से बुलाई गई बैठक में किया जायेगाः

परन्तु अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, कोई अति आवश्यक मामला सदस्यों में उनकी राय के लिए परिचालित कर सकेगा।

11–बहुमत द्वारा मामले का विनिश्चयः– प्रत्येक मामला बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाये और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत का अधिकार होगा।

12–कार्यवाहियों का कार्यवृतः– (1) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों को (उपस्थित सदस्यों के नामों सहित) कार्यवृत इस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तक में अभिलिखित किया जायेगा और ऐसा कार्यवृत अगली बैठक में पढा जायेगा और ऐसी बैठक में पुष्टि होने पर अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्यवृत पुस्तक किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय के दौरान सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

(2) यदि ऐसी बैठक में उपस्थित कोई सदस्य ऐसे बैठक कार्यवाहियों के कार्यवृत के किसी भाग की ओर, जो कार्यवृत पुस्तक में त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध रूप से दर्ज किया गया हो, ध्यान आकर्षित करें तो ऐसे

संशोधन, जो अध्यक्ष उचित समझे कार्यवृत पर अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व किये जाएंगे।

13–बोलने पर कतिपय निर्बन्धनः– कोई भी सदस्य बोलते समयः–

क–किसी ऐसे विषय पर टिप्पणी नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो;

ख–किसी सदस्य के विरूद्ध वैयक्तिक आरोप नहीं लगायेगा;

ग– संसद, किसी राज्य की विधान मण्डल या किसी अन्य विकास प्राधिकरण की कार्यवाही के संचालन के संबंध में संतापकारी अभिव्यक्तियों का उपयोग नहीं करेगा;

घ– मानहानिकारक शब्द नहीं बोलेगा;

ड– किसी बैठक के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए अपने भाषण के अधिकार का उपयोग नहीं करेगा। प्रस्तावक, जिसे उत्तर देने का अधिकार होगा, के सिवाय कोई भी सदस्य एक बार से अधिक नहीं बोलेगा।

14–भाषणों की अवधिः– अध्यक्ष अपने स्वविवेक से भाषणों की अवधि नियमित करेगा।

15–प्रकिया, जब किसी सदस्य का बैठक के विचाराधीन विषय में हित होः– (1) कोई भी सदस्य किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय पर विचार–विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि विषय ऐसा हो जिसमें उसके जनसाधारण पर सामायतः लागू होने के अलावा वह स्वयं या भागीदार के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित रखता हो।

(2) अध्यक्ष, किसी सदस्य को किसी ऐसे विषय के विचार–विमर्श में मत डालने या भाग लेने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा, जिसमें उसका यह विश्वास हो कि ऐसे सदस्य को ऐसा आर्थिक हित है या वह ऐसे सदस्य से विचार–विमर्श के दौरान अनुपस्थित रहने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) ऐसा सदस्य अध्यक्ष के विनिश्चय को चुनौती दे सकेगा जो तदुपरान्त प्रश्न को बैठक में रखेगा और बहुमत का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) यदि बैठक में किसी सदस्य का यह विश्वास हो कि अध्यक्ष का विचाराधीन किसी विषय में कोई आर्थिक हित हो और यदि विचार विमर्श के दौरान इस प्रभाव का प्रस्ताव पारित हो जाये तो मामला प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष रखा जायेगा।

(5) संबंधित सदस्य उप–विनियमों में निर्दिष्ट प्रश्न पर मतदान नहीं करेगा।

16–कार्यसूची की मदों का क्रमः– कार्यसूची की मदों पर सामान्यतः उनके क्रमानुसार विचार किया जायेगा, परन्तु अध्यक्ष ऐसे क्रम में फेरफार कर सकेगा या बैठक के समक्ष ऐसा मामला ला सकेगा, जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं हैं।

यदि एकाधिक सदस्य एक ही समय बोलना चाहे तो अध्यक्ष उस सदस्य का नाम बतायेगा, जिसे पहले बोलना है और यह अनुक्रम निर्धारित करेगा, जिसमें सदस्यों को बोलना है।

17–संकल्पः– (1) कोई सदस्य, कार्यकारी समिति, जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड, कृत्यकारी बोर्ड या किसी समिति के प्रशासन से संबंधित मामले के बारे में संकल्प प्रस्तावित कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष संकल्प की ग्राह्ता पर विनिश्चय करेगा तथा किसी ऐसे संकल्प के लिए मना कर सकेगा जो उसकी राय में अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध में के उल्लंघन में है और उसका निश्चय अन्तिम होगा।

18–सदस्य का हटाया जानाः– अध्यक्ष किसी सदस्य को जिसका आचरण उसकी राय में गम्भीर रूप से अनुशासनहीनता पूर्ण हो, बैठक से तुरन्त हट जाने का निर्देश दे सकेगा। हट जाने के लिए इस प्रकार आदिष्ट सदस्य तुरन्त ऐसा करेगा और दिन की बैठक की शेष अवधि के लिए अनुपस्थित रहेगा।

19–व्यवस्था बनाये रखना तथा बैठक का निलम्बनः– अध्यक्ष, व्यवस्था बनाये रखेगा तथा उसे अपने विनिश्चयों का प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए समस्त शक्तियां प्राप्त होगी और वह उसके द्वारा बताये जाने वाले समय तक किसी बैठक को निलम्बित कर सकेगा।

20–सदस्यों का अस्थायी सहयोजनः– कार्यकारी समिति या कृत्यकारी बोर्ड अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी अधिकारी को किसी मामले या

मामलों में सहायता करने या सलाह देने, करने के प्रयोजनार्थ उसकी बैठक या बैठकों में विशिष्ट या स्थायी आमंत्रितों के रूप में हाजिर होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा। इस प्रकार आमंत्रित अधिकारी या व्यक्ति कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा। किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।

21–बैठकों की कार्यवाहियों तथा अभिलेख की अभिरक्षाः– बैठकों की कार्यवाहियों तथा अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे।

जोधपुर विकास प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2014

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 9 के साथ पठित, धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा, प्राधिकरण के अधीन चतुर्थ श्रेणी सेवा के नियमित रूप से स्वीकृत पदों पर भर्ती, नियुक्ति करने तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता हैः–

भाग प्रथम– सामान्य

1–संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः– (1) ये विनियम जोधपुर विकास प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2–परिभाषायेंः– इन विनियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य प्राधिकरण में सचिव या अन्य ऐसे अधिकारी से है जिसे आयुक्त द्वारा यह शक्ति प्रत्यायोजित की जाए

(ख) "सेवा" से तात्पर्य जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर चतुर्थ श्रेणी सेवा से है,

(ग) "अनुसूची" से तात्पर्य इन विनियमों से संलग्न अनुसूची से है।

3–निर्वचनः– जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, परिभाषायें, सेवा की सामान्य शर्तें एवं प्रक्रिया जहां कहीं, वह इन विनियमों में नहीं दी गई हो, तथा क्रमोन्नति (अपग्रेडशन) द्वारा पदोन्नति, राष्ट्रीय आपात कार्मिकों, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए रिक्तियों का आरक्षण तथा प्राधिकरण के अधीन सेवा के संविदात्मक स्वरूप एवं अवधि (टेन्योर) के संबंध में, जोधपुर विकास प्राधिकरण (कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2014 में दिए गए तद्नुरूपी प्रावधान, यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे उपान्तरणों सहित लागू होंगे जिन्हें आयुक्त निश्चित करें। इस संबंध में आयुक्त का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

भाग द्वितीय – संवर्ग

4–सेवा की संरचना एवं पदों की संख्याः– (1) सेवा में सम्मिलित किए गए पदों का स्वरूप अनुसूची के कॉलम 2 में यथा विनिर्दिष्ट नियमित आधार पर स्वीकृत पूर्णकालिक पदों का होगा।

(2) प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या वही होगी जो समय समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित की जाए लेकिन इसमें कार्यप्रभावित (वर्क चार्ज) आकस्मिक (कंजूएल) दैनिक मजदूरी एवं फुटकर भुगतान प्राप्त कर्मचारी शामिल नहीं होंगे।

5–सेवा का गठनः– सेवा में निम्न होंगेः–

(1) सूची में विनिर्दिष्ट तथा विनियम (6) के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 96. के खण्ड ज के अधीन संवीक्षा (स्क्रीनिंग) के बाद उपयुक्त अभिनिर्णित किए गए पूर्णकालिक एवं नियमित रूप से स्वीकृत पदों को धारण करने वाले व्यक्ति।

(2) प्राधिकरण के गठन के बाद सेवा में पद पर भर्ती किए गए व्यक्ति।

(3) इन विनियमों के अनुसार सेवा में किसी पद पर भर्ती किए गए व्यक्ति।